सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 120 राँची, शुक्रवार, 27 माघ, 1939 (श०)
16 फरवरी, 2018 (ई०)

### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

---

राज्यादेश

8 फरवरी, 2018

**संख्या-05/स० भू० देवघर** (SBI)-**244/17-558/रा०,**

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो० -डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **24 जनवरी, 2018** में मद संख्या-**21** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में देवघर जिलांतर्गत अंचल-देवघर, मौजा-कल्याणपुर, थाना संख्या-**398,** खाता संख्या-**48** के दाग संख्या-**260** एवं **261** में अंतर्निहित कुल रकबा -**0.84** एकड़ गैरमजरुआ आम भूमि किस्म-गोचर, विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/रा०,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** में निहित प्रावधान के आलोक में वर्तमान बाजार दर के आधार पर निर्धारित दर **37,82,400/-** (सैंतीस लाख बिरासी हजार चार सौ) रूपये

प्रति एकड़ मात्र के अनुसार संगणित सलामी की राशि **31,77,216/- (**एकतीस लाख सतहत्तर हजार दो सौ सोलह) रूपये मात्र**,** सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का **25** गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **39,71,520/-**रु० **(**उनचालीस लाख एकहत्तर हजार पाँच सौ बीस) रूपये मात्र एवं व्यावसायिक लगान का **145**% सेस का **25** गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **57,58,704/- (**सनतावन लाख अनठावन हजार सात सौ चार) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **1,29,07,440/- (**एक करोड़ उनतीस लाख सात हजार चार सौ चालीस) रूपये मात्र**,** भारतीय स्टेट बैंक**,** देवघर शाखा द्वारा अदायगी पर भारतीय स्टेट बैंक**,** प्रशासनिक कार्यालय एवं देवघर शाखा भवन की स्थापना हेतु सशुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण तथा उक्त गोचर भूमि के प्रतिपूर्ति हेतु देवघर जिलान्तर्गत अंचल-देवघर**,** मौजा-करनीबाद**,** थाना संख्या-**584,** खाता संख्या-**41** के दाग संख्या-**308** में अंतर्निहित कुल रकबा-**0.84** एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म-परती कदीम को गोचर अधिसूचित करने के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

**i)** इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त**,** देवघर प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता**,** प्लॉट में अंकित रकबा एवं भूमि का किस्म**,** खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

**ii)** प्रस्तावित गैरमजरूआ आम भूमि के मामले में उपायुक्त विधिवत रूप से ग्राम सभा की सहमति प्राप्त कर लेंगे ।

**iii)** परियोजना के अंतर्गत पड़नेवाले वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

**iv)** यदि परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना आदि है तो अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त**,** देवघर सुनिश्चित करा लेंगे ।

**v)** हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

**vi)** राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी**,** लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

**vii)** उपायुक्त**,** देवघर यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम**, 1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से

अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

**viii)** अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014,** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

**ix)** राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक- **4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

**x)** जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**उदय प्रताप**,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 120 -- 50